प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ :

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 3, 2008

अपीलार्थीगण छत्तीसगढ़ राज्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : 1. छेदूराम

2. सुरेन्द्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1) के अंतर्गत दाण्डिक अपील)

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी/राज्य की ओर से।

श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को पारित)

श्री टी.पी. शर्मा, न्यायधीश के अनुसार :-

1. इस अपील द्वारा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, अपीलार्थी/राज्य ने दिनांक 7.9.2007 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष सत्र न्यायाधीश , उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 99/2007 में पारित दोषमुक्ति के निर्णय की वैद्यता एवं औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 392, 506ख एवं 376(2)(छ) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) (संक्षेप

में 'अधिनियम') के आरोपों से इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि अभियोजन प्रत्यर्थीगण के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

2. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, दिनांक 28.2.2007 को रात्रि लगभग 1.30 बजे, दोनों प्रत्यर्थीगण ने अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री) (नाम उल्लेखित नहीं) के दरवाजे पर दस्तक दी, वे उसके घर में प्रवेश किये, उन्होंने उसे धमकी दी तथा बक्से की चाबी की मांग की, उन्होंने चाकू की नोक पर बक्से से ₹3000/- निकाल लिए, उन्होंने अभियोक्त्री को उसके घर से घसीट कर बाहर ले गए, अभियोक्त्री के घर के पास एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा था, वे उसे बलपूर्वक हर्रा वृक्ष के पास ले गए जहाँ आरोपी छेदूराम ने उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया, उन्होंने उसे धमकी दी, इसके पश्चात वे दयालूराम के घर गए, उन्होंने दयालूराम के दरवाजे पर दस्तक दी, किन्तु दयालूराम ने दरवाजा नहीं खोला। इसके पश्चात वे उसे सुशील दर्रो के खेत में ले गए और उसे छोड़कर फरार हो गए, वह वापस अपने घर आई और प्रातःकाल ग्रामवासियों को तथा अपने पिता को घटना के संबंध में बताया, तत्पश्चात वह दिनांक 3.3.2007 को थाना गई और प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 दर्ज कराई। वह अनुसूचित जाति की सदस्य थी, उसका जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी/2 तथा निवास प्रमाणपत्र प्रदर्श पी/3 अभियोजन द्वारा ग्रहण किए गए, उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया, उसका परीक्षण डॉ. रंजना गुप्ता (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा प्रदर्श पी/27 के माध्यम से किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) स्तन पूर्णतः विकसित नहीं थे, एरिओला एवं निप्पल गुलाबी रंग के थे।

(ii) शरीर पर कोई चोट का चिन्ह नहीं पाया गया।

(iii) जघन बाल पूर्णतः विकसित थे।

(iv) पेरिनियम एवं जांघ पर कोई चोट नहीं पाई गई।

(v) लेबिया मिनोरा एवं मेजोरा ढीले नहीं थे।

(vi) योनि से स्त्राव पाया गया।

(vii) हाइमन झिल्ली 3 बजे की स्थिति पर फटी हुई थी।

(viii) योनि में कठिनाई से दो उंगलियाँ प्रवेश करती थीं तथा हल्की कोमलता पाई गई।

वह यौन संबंध के लिए अभ्यस्त नहीं थी। यह अभिमत देना कठिन था कि क्या पिछले 24 घंटे के भीतर बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया गया था या नहीं। उसकी आयु निर्धारण हेतु उसकी अंकसूची प्रदर्श पी/6 जप्त की गई तथा उसके पहने हुए वस्त्र प्रदर्श पी/7 के माध्यम से जप्त किए गए। अभियोक्त्री के विद्यालयीय अभिलेख प्रदर्श पी/9 के माध्यम से जप्त किए गए। आरोपी छेदूराम को अभिरक्षा में लिया गया, उसने चाकू के संबंध में प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी/12 दिया और उसी के कथन पर उक्त चाकू बरामद किया गया। पटवारी द्वारा स्थल नक्शा प्रदर्श पी/15 तैयार किया गया। जाति प्रमाणपत्र प्रदर्श पी/10 को प्रदर्श पी/18 के माध्यम से जप्त किया गया। आरोपी छेदूराम का परीक्षण डॉ. आर.के. श्रीमाली (अभियोजन साक्षी-4) द्वारा प्रदर्श पी/13 के माध्यम से किया गया, जिसमें पाया गया कि वह संभोग करने में सक्षम है। सीलबंद स्लाइड्स प्रदर्श पी/21 के माध्यम से जप्त की गईं। अन्य वस्तुएँ प्रदर्श पी/22 के माध्यम से जप्त की गईं। विवेचना अधिकारी द्वारा स्थल नक्शा प्रदर्श पी/15 तैयार किया गया। जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. को प्रदर्श पी/24 के माध्यम से भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानुप्रतापपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश , उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया।
4. अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण के अपराध को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल बारह साक्षियों का परीक्षण किया गया। अभियुक्तों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए विचाराधीन अपराध में झूठा फँसाए जाने का कथन किया।
5. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विशेष न्यायाधीश , उत्तर बस्तर कांकेर ने प्रत्यर्थीगण को पूर्वोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया।
7. अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील में न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही नहीं है, जब तक कि कोई स्पष्ट त्रुटि अथवा प्रत्यक्ष अवैधता प्रदर्शित न हो, तथापि वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री (अभियोजन साक्षी-1) की साक्ष्य, कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2), उसकी माता तथा रमेश बघेल

(अभियोजन साक्षी-3) की साक्ष्य से भली-भांति पुष्ट होती है, जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त थी कि प्रत्यर्थीगण ने अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया, किन्तु विचारण न्यायालय ने अवैध रूप से प्रत्यर्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष हेतु पर्याप्त था कि प्रत्यर्थीगण ने रात्रि में अपराध करने के उद्देश्य से रात्रि में गृहभेदन किया तथा चाकू की नोक पर लूट भी की, किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त साक्ष्य पर विचार नहीं किया।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य मात्र इतना संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है कि संभवतः प्रत्यर्थीगण ने कोई अपराध किया हो, किन्तु यह निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यर्थीगण ने सामूहिक बलात्कार, लूट तथा रात्रि में गृहभेदन का अपराध किया है। अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह अपने प्रकरण को संदेह की छाया से परे सिद्ध करे। अभियोजन बचाव पक्ष की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता। अभियोजन अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होना तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा लूट, गृहभेदन और सामूहिक बलात्कार किए जाने को सिद्ध करने में असफल रहा है। अभियोजन ने आरोपी क्रमांक 2 सुरेन्द्र के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को आरोपों से यथोचित रूप से दोषमुक्त किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि डॉ. आर. के. श्रीमाली (अभियोजन साक्षी-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में यह कथन किया है कि बलपूर्वक बलात्कार किए जाने की स्थिति में ऐसे संभोग/बलात्कार करने वाले व्यक्ति के लिंग पर कुछ लक्षण पाए जाने की संभावना रहती है, किन्तु उन्होंने ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थीगण और अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों के बीच पूर्व से विवाद था और उसी पूर्व विवाद के कारण प्रत्यर्थीगण को झूठा फँसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह राज्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के अंतर्गत दायर दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) अथवा धारा 378 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालयों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय को साक्षियों के आचरण को देखने तथा न्यायालय में विशेषकर साक्षी-पट पर उनके व्यवहार का अवलोकन करने का लाभ प्राप्त था तथा यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस अवस्था में भी अभियुक्त को संदेह का लाभ प्राप्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने का अधिकार था। संदेह ऐसा होना चाहिए जिसे कोई विवेकशील व्यक्ति अभियुक्त के दोष के संबंध में ईमानदारी और सद्विवेक से ग्रहण कर सके।

10. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **सी.अंटोनी विरुद्ध राघवन नायर**[1] के प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि जब तक उच्च न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर न पहुँचे कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत हैं, तब तक वह पूर्णतः भिन्न दृष्टिकोण के आधार पर अपना मत प्रतिस्थापित नहीं करेगा। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने **रामानंद यादव विरुद्ध प्रभुनाथ झा**[2] के प्रकरण में यह भी प्रतिपादित किया है कि दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय तभी हस्तक्षेप करेगा जब ऐसा करने के लिए ठोस एवं पर्याप्त कारण विद्यमान हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण हो तथा प्रासंगिक और विश्वसनीय सामग्री को अनुचित रूप से प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया हो, तो यह हस्तक्षेप करने का एक सशक्त कारण होता है।

11. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों में हस्तक्षेप का क्षेत्र सुस्थापित है। **तोता सिंह एवं अन्य विरुद्ह पंजाब राज्य** [3] में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 6 में इस प्रकार अभिधारित किया है :-

"..........केवल यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना चाहता है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में अभिलिखित निष्कर्ष से भिन्न है, दोषमुक्ति को अपास्त करने हेतु वैध एवं पर्याप्त आधार नहीं होगा। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील का विचार करते समय अपीलीय न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र इस सीमा से आबद्ध है कि जब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य के विचार में अपनाया गया दृष्टिकोण किसी प्रत्यक्ष अवैधता से दूषित न हो अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष ऐसा न हो जिस पर कोई भी न्यायालय, जो युक्तिसंगत एवं न्यायोचित रूप से कार्य कर रहा हो, संभवतः नहीं पहुँच सकता, और इस कारण वह विकृत ठहराया जा सके, तब तक दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जहाँ प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव हों और अधीनस्थ न्यायालय ने उनमें से एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाया हो, वहाँ अपीलीय न्यायालय विधि अनुसार दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही वह इस मत का हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विचार में अपनाया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।"

---

[1] AIR 2003 SC 182
[2] AIR 2004 SC 1053
[3] AIR 1987 SC 1983

12.दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं, जब वे विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते हैं। अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख करे और तत्पश्चात उन कारणों का निराकरण करे।

13.पूर्वोक्त विधि-सिद्धांत एवं प्रतिपादित विधिक प्रस्तावना के प्रकाश में, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया है। अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री) (नाम उल्लेखित नहीं) ने अपने कथन में कहा है कि रात्रि लगभग 1.30 बजे दोनों प्रत्यर्थीगण ने उसके पिता को पुकारा, जब उसने उत्तर दिया कि उसके पिता उपस्थित नहीं हैं और वह पुलिस नहीं है, तब आरोपी उसके घर में प्रवेश कर गए और बक्से की चाबी की मांग की, जो उसके पास नहीं थी, तब उन्होंने उस कक्ष के दरवाजे को लात मारी जहाँ उसकी माता सो रही थी, उन्होंने स्वयं को नक्सली बताते हुए बक्से की चाबी की मांग की और बक्से से ₹300/- निकाल लिए, उन्होंने उसे बलपूर्वक हर्रा वृक्ष के पास ले गए जहाँ उससे कपड़े उतारने को कहा गया जिसका उसने विरोध किया, तब पिस्तौल की नोक पर उसके कपड़े उतारे गए, तत्पश्चात आरोपी छेदूराम ने उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया। उसने आगे यह भी कहा कि आरोपी क्रमांक 2 वहाँ खड़ा था और घर की निगरानी कर रहा था, वह यह भी कह रहा था कि यदि कोई आएगा तो वह उसे मार डालेगा, उसने प्रदर्श पी/1 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2), जो अभियोक्त्री की माता है, ने अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि की तथा कहा कि लूट करने के पश्चात प्रत्यर्थीगण ने उसकी पुत्री अभियोक्त्री को बलपूर्वक घसीट कर ले गए और वह प्रातः वापस आई तथा बताया कि आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। ग्राम में बैठक आयोजित की गई जहाँ उसने आरोपी छेदूराम को अपराध करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना। रमेश बघेल (अभियोजन साक्षी-3) ने कहा कि उसे अभियोक्त्री तथा उसकी माता द्वारा सूचित किया गया, वह जागा और अपने घर से बाहर आया, उस समय आरोपी अभियोक्त्री के साथ भाग गए और प्रातः वह आई तथा घटना का वर्णन किया।

14.अभियोक्त्री के साथ संभोग किए जाने के प्रश्न के संबंध में, उसका परीक्षण डॉ. रंजना गुप्ता (अभियोजन साक्षी-12) द्वारा प्रदर्श पी/27 के माध्यम से किया गया। उसके कथन तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी/27 के अनुसार, उन्होंने पाया कि लेबिया मिनोरा एवं मेजोरा ढीले नहीं थे, हाइमन 3 बजे की स्थिति में फटा हुआ था, किनारे भरे हुए थे, योनि में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कठिनाई से दो उंगलियाँ प्रवेश करती थीं तथा कोमलता विद्यमान थी। उनके प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अनुसार, वह यौन संबंध की अभ्यस्त नहीं थी, किन्तु यह अभिमत देना कठिन था कि क्या उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया गया था। उसका परीक्षण दिनांक 4.3.2007 को, घटना के चार दिन पश्चात किया गया। उनका साक्ष्य एवं निष्कर्ष इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि उसके साथ संभोग किया गया था तथा वह संभोग की अभ्यस्त नहीं थी। हाइमन का फटना, वह भी 3 बजे की स्थिति में, लेबिया मिनोरा एवं मेजोरा का ढीला न होना तथा योनि में कठिनाई एवं पीड़ा के साथ दो उंगलियों का प्रवेश होना, कुछ दिनों के भीतर किसी कुंवारी स्त्री के साथ संभोग होने के सकारात्मक संकेत हैं।

15. ये चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री) की साक्ष्य के साथ मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि उसके साथ संभोग किया गया। बचाव पक्ष ने अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री) का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है। उसकी प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन प्रदर्श डी /1 में कुछ विरोधाभास एवं त्रुटियाँ थीं, विशेषकर नक्सली होने के आधार पर दी गई धमकी, वस्त्र उतारना तथा उसकी स्थिति के संबंध में। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में उसने स्वीकार किया कि पूर्व में प्रत्यर्थीगण और उसके परिवार के बीच कुछ विवाद था तथा संबंध तनावपूर्ण थे, किन्तु वे एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में सुझाव के अनुसार उसने कथन किया कि जब प्रत्यर्थीगण ने उसे वस्त्र उतारने के लिए कहा, तब उसने वस्त्र उतारने से इंकार कर दिया, जिसे उसने स्वीकार किया। आगे उसने इस सुझाव का खंडन किया कि प्रत्यर्थीगण ने उसकी सहमति से उसके साथ संभोग किया। कंडिका 15 में बचाव द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसे उसने अस्वीकार किया और कहा कि आरोपी छेदूराम ने उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, किन्तु हमें अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम सिद्ध करने हेतु कोई ठोस आधार नहीं मिलता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.अभियोक्त्री के साक्ष्य के कंडिका 10 एवं 15 में दिए गए सुझावों के माध्यम से आरोपी छेदूराम ने वस्तुतः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि उसने अभियोक्त्री के साथ संभोग/बलात्कार किया तथा यह भी सुझाव दिया कि उसने सहमति से संभोग किया। सहमति का तथ्य अभियोक्त्री द्वारा अस्वीकार किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने आरोपी छेदूराम द्वारा संभोग किए जाने की घटना को स्वीकार किया है, किन्तु उसकी सहमति के बिना। पूर्वोक्त सुझाव, सहमति का खंडन तथा उसके द्वारा स्वयं वस्त्र न उतारने

का कथन इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि वह सहमति देने वाली पक्षकार नहीं थी। उसका साक्ष्य कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2) तथा रमेश बघेल (अभियोजन साक्षी-3) की साक्ष्य से इस सीमा तक पुष्ट होता है कि उसे प्रत्यर्थीगण द्वारा बलपूर्वक ले जाया गया था और प्रातः जब वह वापस आई, तब उसने घटना का वर्णन किया कि प्रत्यर्थीगण ने उसके साथ बलात्कार किया तथा पंचायत की बैठक के पश्चात प्रकरण की सूचना दी गई।

17.अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री), कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2) तथा रमेश बघेल (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्य के अनुसार, आरोपी रात्रि 1.30 बजे असामान्य समय पर उसके घर आए, उसे उसके घर से बाहर ले जाया गया, आरोपी छेदूराम ने उसके साथ संभोग किया, वह भी उसकी सहमति के बिना। अभियोक्त्री के साथ संभोग किए जाने का तथ्य डॉ. रंजना गुप्ता (अभियोजन साक्षी-12) के साक्ष्य तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी/27 से पुष्ट होता है, किन्तु अभियोजन साक्षी-1 (अभियोक्त्री) तथा कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2) की साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यर्थीगण ने चाकू अथवा किसी अन्य हथियार की नोक पर लूट की। यद्यपि पक्षकारों के बीच कुछ विवाद था, किन्तु संबंध इतने तनावपूर्ण नहीं थे। अभियोक्त्री की साक्ष्य, उसके पूर्व कथन, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन प्रदर्श डी /1 में कुछ विरोधाभास, त्रुटियाँ एवं अतिशयोक्ति पाई जाती है, किन्तु केवल अतिशयोक्ति, त्रुटि एवं विरोधाभास के आधार पर उसकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 10 में दिए गए सुझाव के माध्यम से आरोपी छेदूराम द्वारा संभोग किए जाने का तथ्य वस्तुतः स्वीकार किया गया है। अभियोक्त्री की साक्ष्य, कुमारी बाई (अभियोजन साक्षी-2) तथा रमेश बघेल (अभियोजन साक्षी-3) की साक्ष्य से पुष्ट होती है, जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि उसे हर्रा वृक्ष के पास घसीट कर ले जाया गया जहाँ आरोपी छेदूराम ने उसके साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया, तत्पश्चात उसे छोड़ दिया गया।

18.अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी क्रमांक 1 ने अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग किया, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने लूट अथवा रात्रि में गृहभेदन का अपराध किया। अभियोक्त्री के साक्ष्य के कंडिका 3 के अनुसार, आरोपी क्रमांक 2 घर की निगरानी कर रहा था तथा लोगों को धमकी दे रहा था कि यदि कोई आएगा तो वह उसे मार देगा। उसकी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि केवल आरोपी छेदूराम ने बलात्कार किया और आरोपी क्रमांक 2 ने बलात्कार नहीं किया। अभियोजन पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह दायित्व था कि वह अपने प्रकरण को संदेह की छाया से परे सिद्ध करे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि आरोपी क्रमांक 1 छेदूराम ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी क्रमांक 2 ने सामूहिक बलात्कार किया या आरोपी क्रमांक 1 ने आरोपी क्रमांक 2 के साथ समान अभिप्राय से बलात्कार किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है कि प्रत्यर्थीगण ने रात्रि में गृहभेदन एवं लूट का अपराध किया।

19. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 एवं 506 (ख) के आरोपों से प्रत्यर्थीगण को तथा आरोपी छेदूराम को धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता नहीं की है। इसी प्रकार, साक्ष्य के अभाव में प्रत्यर्थीगण को अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के आरोप से दोषमुक्त करते हुए भी विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता नहीं की है। इसी प्रकार, आरोपी क्रमांक 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(छ) के आरोप से दोषमुक्त करते हुए भी विचारण न्यायालय ने कोई अवैधता नहीं की है, किन्तु स्पष्ट, निर्विवाद, विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य के प्रकाश में आरोपी क्रमांक 1 छेदूराम को बलात्कार के अपराध से दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने अवैधता की है। आरोपी छेदूराम की दोषमुक्ति के संबंध में आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण है तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सामग्री को प्रक्रिया में अनुचित रूप से उपेक्षित किया गया है। आरोपी क्रमांक 1 छेदूराम को दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्ष अवैधता की है, जिससे अन्याय हुआ है। अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी.अंटोनी, रामानंद यादव तथा तोता सिंह (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के अनुसार, न्याय के हित में हस्तक्षेप अपेक्षित है।

20. फलतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। आरोपी क्रमांक 1 छेदूराम को बलात्कार के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

21. दण्ड के प्रश्न पर पक्षकारों को सुनवाई हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

सही/-	सही/-
टी.पी. शर्मा	आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

23. आरोपी छेदूराम के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन अधिकतम दण्ड अथवा विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक दण्ड आरोपित किए जाने हेतु कोई अपवादात्मक प्रकरण सिद्ध करने में असफल रहा है।

24. सूक्ष्म परीक्षण पर, हमें ऐसा कोई अपवादात्मक प्रकरण नहीं प्रतीत होता जिससे विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम दण्ड से अधिक दण्ड आरोपित किया जाए।

25. फलतः, आरोपी छेदूराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है। वह दिनांक 7.3.2007 से 7.9.2007 तक अभिरक्षा में रहा है, अतः वह उक्त निरुद्धावधि को दिए गए दंडादेश से समायोजित किये जाने का हक़दार है। आरोपी क्रमांक 1 छेदूराम को तत्काल अत्याचार प्रकरणों के विशेष न्यायाधीश , उत्तर बस्तर कांकेर के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा ताकि उस पर आरोपित दण्ड का पालन किया जा सके। विशेष न्यायाधीश शेष दण्ड के पालन हेतु त्वरित एवं उपयुक्त कदम भी उठाएंगे।

26. निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रत्यर्थीगण को प्रदान की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
टी.पी. शर्मा	आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Advocate Shraddha Raj Jyotishi